फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

हरिसिंह पिता रामसिंह राजपूत निवासी खेताखेडा, तहसील डूंगला

बनाम

गणेशलाल पिता देवा खटीक निवासी मलूकदास की खेडी, तहसील डूंगला वगैरा

प्रकरण संख्या 12/2021 (रा.अ.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.05.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की तामील शेष है। अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की तामील हेतु आज भी नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रकरण प्रस्तुत करने के पश्चात् आदिनांक तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की तामील हेतु नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं जबकि इस हेतु अधिवक्ता अपीलांट को कई बार निर्देशित किया जा चुका है फिर भी आज भी नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है। अतः अब प्रकरण आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	